न्यायालय सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अल्का शर्मा, आरजेएस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या : 08/2025
(C.I.S. No. 11/2025)

राजस्थान राज्य।

.... अभियोगी

विरूद्ध

गोपाल पुत्र तारूलाल भील, उम्र 24 वर्ष, निवासी मोरचना, थाना राजनगर, जिला राजसमन्द।

...........अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 75, 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 व धारा 374 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :–
1. श्री रामलाल जाट, विद्वान् लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।
2. श्री लोकेश कुमार भाटी, विद्वान् अधिवक्ता–अभियुक्त की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांक : 04.05.2026**

1. यह प्रकरण थानाधिकारी, पुलिस थाना राजनगर, जिला राजसमंद द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 350/2021 में बाद अनुसंधान दिनांक 25.11.2021 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द में अभियुक्त गोपाल के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 75, 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 व धारा 374 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संस्थित हुआ। विचारण के दौरान प्रकरण इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परिवादी श्यामलाल स.उ.नि. पुलिस थाना राजनगर, जिला राजसमंद ने दिनांक 01.11.2021 को थानाधिकारी पुलिस थाना राजनगर के समक्ष एक लिखित

रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि वह मय जाप्ता चैकिंग के दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिलने पर समय करीब 04 पीएम श्री अम्बे मोटरसाईकिल रिपेरिंग की दुकान मोरचणा सर्विस रोड पर पहुचे, जहा एक बाल श्रमिक मोटरसाईकिल की रिपेरिंग का काम करते हुए एवं सामान अंदर रखते हुए, दुकान की साफ–सफाई करता हुआ नजर आया। दुकान मालिक ने अपना नाम गोपाल पिता तारूलाल होना बताया। बाल श्रमिक ने अपना नाम पुष्करलाल पिता सम्पतलाल उम्र 17 वर्ष, निवासी तासोल का होना तथा पिछले तीन–चार दिनों से सुबह 08 से रात्रि 08 तक दुकान में काम करना और प्रतिदिन 100/– रूपए मजदूरी देना बताया। बालक को फर्द दस्तियाब किया जाकर बाल कल्याण समिति में जमा करा रसीद प्राप्त की । अभियुक्त गोपाल का कृत्य किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75, 79 जेजे एक्ट व धारा 374 भादस का अपराध होने से पाये जाने से रिपोर्ट पेश की गयी.........इत्यादि। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना राजनगर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 350/2021, अपराध अंतर्गत धारा 75, 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम व धारा 374 भारतीय दण्ड संहिता में मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध धारा 75, 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 व धारा 350/2021 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. तत्पश्चात् हस्तगत प्रकरण बहस आरोप के प्रक्रम पर अंतरित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय में दिनांक 21.01.2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. इस न्यायालय द्वारा बहस आरोप सुनने के पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 75, 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 व धारा 374 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन व समझकर अभियुक्त ने आरोपित अपराध को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को साबित करने के क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 1 पुष्करलाल, पी.डब्ल्यू. 2 सम्पतलाल, पी.डब्ल्यू. 3 नरोत्तमपुरी, पी.डब्ल्यू. 4 श्यामलाल, पी.डब्ल्यू. 5 बहादुरलाल, पी.डब्ल्यू. 6 सुखलाल, पी.डब्ल्यू. 7 गौरीलाल व पी.डब्ल्यू. 8 लोकेश को परीक्षित करवाया गया।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया है :—

क्र.सं.	प्रदर्श	दस्तावेज
1.	प्रदर्श पी. 01	फर्द दस्तयाबी बालक पुष्करलाल
2.	प्रदर्श पी. 02	पुलिस बयान पुष्करलाल
3.	प्रदर्श पी. 03	पुलिस बयान सम्पतलाल
4.	प्रदर्श पी. 04	तहरीरी रिपोर्ट
5.	प्रदर्श पी. 05	चाक एफ.आई.आर.
6.	प्रदर्श पी. 06	बालक को किशोर गृह में जमा कराने बाबत् पुलिस तहरीर
7.	प्रदर्श पी. 07	बालक को किशोर गृह में जमा कराने की रसीद
8	प्रदर्श पी. 08	नक्शा मौका
9	प्रदर्श पी. 09	रोजनामचा रवानगी रपट

6. अभियोजन साक्ष्य से प्रकट आपराधिक दायित्व के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्त का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षण किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होने तथा स्वयं को निर्दोष होने व झूठा फंसाया जाने का कथन किया। साथ ही प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा, जिस पर प्रतिरक्षा साक्ष्य बंद की गई।

7. इस प्रकरण के निर्णय हेतु हमारे समक्ष मुख्य रूप से अवधार्य प्रश्न यह है कि :—

{1} क्या अभियुक्त ने दिनांक 01.11.2021 को समय करीब 4:20 पी. एम. पर जिला राजसमन्द के आरक्षी केन्द्र राजनगर के क्षेत्र मोरचना सर्विस रोड पर स्थित श्री अंबे मोटर्स मोटरसाईकिल रिपेयरिंग की दुकान का संचालनकर्ता/मालिक रहते हुए नाबालिग बालक

पुष्करलाल, उम्र 17 वर्ष को उसकी इच्छा के विरूद्ध श्रम करने के लिए विधिविरूद्ध तौर पर विवश किया ?

{2} क्या अभियुक्त ने उक्त दिवस, समय व स्थान पर नाबालिग बालक पुष्कर लाल, उम्र 17 वर्ष पर नियंत्रण रखते हुए उक्त प्रतिष्ठान पर उससे मोटरसाइकिलों की रिपेयरिंग व साफ–सफाई आदि कार्य मजदूरी (बालश्रम) करवाकर उसे शारीरिक कष्ट कारित कर क्रूरता कारित की ?

{3} क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर नाबालिग बालक पुष्करलाल, उम्र 17 वर्ष को तत्समय कानून प्रभावी होते हुए उक्त दुकान पर बाल श्रमिक के रूप में नियोजित करते हुए स्वयं के नियोजन के प्रयोजनार्थ उसका इस्तेमाल किया ?

{4} यदि हॉ, तो उचित दण्ड क्या होगा ?

8. अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप को साबित करने के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसमें गवाह पी.डब्ल्यू. 1 पुष्करलाल पक्षद्रोही साक्षी है, जिसने अपने मुख्य बयानों में कथन किया कि उसके बयानों से करीब चार साल पहले वह तासोल सरकारी विद्यालय में कक्षा 6 में पढता था, विद्यालय में छुट्यिां थीं। उसके मामा के लड़के गोपाल की बाइक रिपेयरिंग की दुकान मोरचणा में थी, जहां वह दो दिन तक गोपाल को टिफिन देना गया था। दूसरे दिन पुलिस वाले वहां पर आये व उसे पकड़कर थाने ले गये एवं वहां से किशोर सुधार गृह, राजसमन्द में दाखिल कराया। फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी 1 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। लोक अभियोजक की जिरह में गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि वह उक्त दुकान पर काम सीखने गया हो तथा उसे प्रतिदिन 100/–रुपये मेहनताना मिलता हो। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 2 का ए से बी भाग लिखाये जाने से इन्कार किया।

9. गवाह पी.डब्ल्यू. 2 सम्पतलाल पक्षद्रोही साक्षी है, जिसने अपने मुख्य बयानों में कथन किया कि उसके बयानों से करीब चार साल पहले उसका पुत्र तासोल सरकारी विद्यालय में कक्षा 6 में पढता था, विद्यालय में छुट्यिां थीं। उसके साले के लड़के गोपाल की बाइक रिपेयरिंग की दुकान मोरचणा में थी, जहां उसका पुत्र दो दिन तक गोपाल को टिफिन देना

गया था। पुलिस वाले वहां पर आये व उसके लड़के को पकड़कर थाने ले गये एवं वहां से किशोर सुधार गृह, राजसमन्द में दाखिल कराया। लोक अभियोजक की जिरह में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 3 का ए से बी भाग लिखाये जाने से इन्कार किया।

10. गवाह पी.डब्ल्यू. 3 नरोत्तमपुरी ने सशपथ बयान में कथन किया कि दिनांक 01.11.2021 को पुलिस थाना राजनगर में उसके एएसआई पद पर रहते हुए श्यामलाल सहायक निरीक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पर उसने प्रकरण किया, जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श–पी 05 होकर ए से बी श्यामलाल व सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

11. गवाह पी.डब्ल्यू. 4 श्यामलाल ने सशपथ अभिकथित किया कि दिनांक 01.11.2021 को थाना राजनगर में ए.एस.आई. के पद पर रहते हुए वह मय जाप्ता चैकिंग के दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिलने पर समय करीब 04 पीएम श्री अम्बे मोटरसाईकिल रिपेरिंग की दुकान मोरचणा सर्विस रोड पर पहुचे, जहा एक बाल श्रमिक मोटरसाईकिल की रिपेरिंग का काम करते हुए एवं सामान अंदर रखते हुए, दुकान की साफ–सफाई करता हुआ नजर आया। मालिक ने अपना नाम गोपाल पिता तारूलाल होना बताया। बाल श्रमिक ने अपना नाम पुष्करलाल पिता सम्पतलाल उम्र 17 वर्ष, निवासी तासोल का होना तथा पिछले तीन–चार दिनों से सुबह 08 से रात्रि 08 तक दुकान में काम करना और प्रतिदिन 100/– रूपए मजदूरी देना बताया। बालक को फर्द दस्तियाब किया जाकर बाल कल्याण समिति में जमा करा रसीद प्राप्त की । अभियुक्त गोपाल का कृत्य किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75, 79 जेजे एक्ट व धारा 374 भादस का अपराध होने से पुलिस थाना राजनगर में रिपोर्ट दी जो प्रदर्श–पी 04 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श–पी 05 है। फर्द दस्तियाबी प्रदर्श–पी 01 होकर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। बालक को बाल कल्याण समिति में जमा कराने की तहरीर प्रदर्श–पी 06 व जमा रसीद प्रदर्श–पी 07 है। अनुंसधान अधिकारी ने नक्शा मौका बनाया, जो प्रदर्श–पी 08 होकर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

12. गवाह पी.ड.05 बहादुरलाल ने सशपथ बयान में कथन किया कि दिनांक 01.11.2021 को प्रकरण सं. 350/2021 में अनुसंधान के दौरान उसने गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये। प्रार्थी श्यामलाल की निशांदेही से निरीक्षण कर घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 8 बनाया, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। बालक को किशोर गृह में जमा की रसीद प्रदर्श पी 7 शामिलप त्रावली की। बालक पुष्कर के क्रमोन्नति प्रमाण पत्र की प्रति शामिल पत्रावली की, जिस पर जन्म दिनांक 26 जून 2008 अंकित है। रोमनामचा रवानगी रपट प्रदर्श पी 9 है। कुलिया अनुसंधान से अभियुक्त गोपाल के विरुद्ध धारा 75, 79 जे. जे. एक्ट व 374 भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित होने से थानाधिकारी हनवंतसिंह द्वारा चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई।

13. गवाह पी.ड.06 सुखलाल ने सशपथ बयान में कथन किया कि दिनांक 01.11.2021 को थाना राजनगर में एएसआई के पद पर रहते हुए दौराने गश्त जरिये मुखबिर सूचना मिलने पर वह श्यामलाल ए.एस.आई. व मय जाप्ता करीब 04.20 पीएम पर श्री अम्बे मोटरर्स मोटरसाईकिल रिपेरिंग की दुकान मोरचणा पर पहुॅचे जहॉ दुकान चालू हालात में होकर एक बाल श्रमिक उक्त दुकान पर मोटरसाईकिल की रिपेरिंग के काम करते हुए व सामान रखकर दुकान के अन्दर साफ–सफाई करता हुआ नजर आया। मालिक ने अपना नाम गोपाल पिता तारूलाल होना बताया। बाल श्रमिक ने अपना नाम पुष्करलाल पिता सम्पतलाल उम्र 17 वर्ष, निवासी तासोल का होना तथा पिछले तीन–चार दिनों से सुबह 08 से रात्रि 08 तक दुकान में काम करना और प्रतिदिन 100/– रूपए मजदूरी देना बताया। एएसआई श्यामलाल द्वारा बालक को दस्तेयाब किया जिसकी फर्द दस्तयाबी प्रदर्श–पी 01 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दुकान मालिक श्री अम्बे मोटर मोरचणा गोपाल भीम द्वारा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75, 79 जेजे एक्ट व धारा 374 भादस का अपराध होना पाया गया।

14. गवाह पी.डब्ल्यू. 7 गौरीलाल व पी.डब्ल्यू. 8 लोकेश ने नक्शा मौका प्रदर्श पी 8 पर क्रमशः सी से डी व ई से एफ अपने–अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया।

15. विद्वान लोक अभियोजक की ओर से बहस की गई है कि इस प्रकरण में अभियोजन के सभी गवाहान ने बालक पुष्कर का अभियुक्त गोपाल की मोटरसाईकिल रिपेयरिंग की दुकान पर रिपेयरिंग व साफ सफाई का कार्य करने का तथ्य संदेह से परे साबित किया है। इस प्रकरण में स्वयं पीड़ित बालक पुष्कर व उसके पिता सम्पतलाल की साक्ष्य से बालक पुष्कर की अभियुक्त की दुकान पर मौजूदगी साबित है। प्रकरण के परिवादी श्यामलाल सहित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सुखलाल ने अभियुक्त द्वारा बालक पुष्कर से अपनी दुकान पर कार्य कराया जाना साबित किया है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी बहादुरलाल ने प्रकरण में अनुसंधान से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 75, 79 जे.जे. एक्ट व धारा 374 भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित पाया जाने की साक्ष्य दी है। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित हुआ है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषसिद्ध किया जावे।

16. विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई है कि इस प्रकरण में सर्वप्रथम तो कथित पीड़ित किशोर का वक्त घटना नाबालिग होना ही प्रमाणित नहीं हो रहा है। स्वयं बालक पुष्कर व उसका पिता सम्पतलाल दोनों पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा अभियुक्त गोपाल को बालक पुष्कर के मामा का लड़का होकर बालक पुष्कर द्वारा अभियुक्त गोपाल को दुकान पर केवल खाने का टिफिन देने जाने के कथन किये हैं। प्रकरण के शेष सभी गवाह पुलिसकर्मी होकर हिबद्ध साक्षी हैं। घटनास्थल के आसपास के किसी पड़ोसी दुकानदार को भी स्वतंत्र मोतबिर गवाह नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे।

17. हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण का प्रारम्भ परिवादी श्यामलाल द्वारा पेश की गई रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 के आधार पर हुआ है, जिसमें दिनांक 01.11.2021 को गश्त के दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिलने पर मय जाब्ता मोरचणा में श्री अम्बे मोटर्स दुकान पर पहुंचने पर बालक पुष्कर को मोटरसाईकिल रिपेयरिंग व साफ–सफाई आदि कार्य करता हुआ पाये जाने तथा बालक द्वारा 100/–रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलना बताये जाने एवं दुकान पर मालिक गोपाल मौजूद होने के तथ्य अंकित किये हैं। उक्त तथ्यों की सत्यता हेतु सर्वप्रथम प्रकरण के मुख्य गवाह पी.डब्ल्यू. 1 पुष्करलाल, जो कि स्वयं कथित नाबालिग पीड़ित होना बताया गया है, ने अपने मुख्य बयानों में ही यह कथन कर दिया है कि उसके मामा के लड़के गोपाल की बाइक रिपेयरिंग की दुकान मोरचणा में थी तथा वह दुकान पर मामा के लड़के गोपाल को दो दिन तक टिफिन देने गया था और दूसरे दिन पुलिस वाले वहां आये और उसे पकड़कर थाने पर ले गये। इसी क्रम में प्रकरण के अन्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह पी.डब्ल्यू. 2 सम्पतलाल, जो कि कथित पीड़ित बालक का पिता है, ने भी अभियुक्त गोपाल को अपने साले का लड़का, होना बताते हुए कथन किया कि उसका पुत्र गोपाल की बाइक रिपेयरिंग की दुकान पर गोपाल को टिफिन देने गया था। साथ ही उक्त दोनों ही गवाह पक्षद्रोही रहे हैं तथा अपने पुलिस बयान लिखाये जाने से भी इन्कार किया है। इस प्रकार प्रकरण के उक्त दोनों महत्वपूर्ण गवाहों ने ही यह स्पष्ट कर दिया है कि कथित बालक पुष्करलाल दुकान पर केवल टिफिन देने के लिए गया था।

प्रकरण के परिवादी पी.डब्ल्यू. 4 श्यामलाल ने यद्यपि बालक पुष्करलाल को अभियुक्त की दुकान पर मोटरसाईकिल रिपेयरिंग करते व साफ सफाई करते हुए पाये जाने का कथन अवश्य किया है, परन्तु जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि सम्पूर्ण कार्यवाही में कोई स्वतंत्र मोतबिर नहीं है, जबकि गवाह ने जिरह में यह भी स्वीकार किया कि घटनास्थल के आसपास बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 5 बहादुरलाल ने भी जिरह में स्वीकार किया कि मौके

पर स्थित पास की दुकान वालों के बयान उसने नहीं लिये। साथ ही इस गवाह ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 8 बनाये जाने का भी कथन किया, जिसके अवलोकन से अभियुक्त की श्री अम्बे मोटर्स के बिल्कुल सटमा दो–तीन अन्य दुकानें एवं सर्विस रोड दर्शित हो रहा है। इस प्रकार प्रकरण में न तो परिवादी श्यामलाल द्वारा एवं न ही अनुसंधान अधिकारी बहादुरलाल द्वारा आसपास के किसी दुकानदार या राहगीर आदि को किसी भी कार्यवाही में मोतबिर नहीं रखा जाना एवं न ही स्वतंत्र चश्मदीद गवाह के रूप में रखा जाना ही आवश्यक नहीं समझा, जो कि सम्पूर्ण कार्यवाही को सन्देहास्पद बनाता है और वह भी उस स्थिति में जबकि स्वयं पीड़ित बालक व उसके पिता ने ही अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी साथ नहीं दिया है।

इस प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह प्रकट हुआ है कि अभियोजन पक्ष द्वारा कथित पीड़ित पुष्करलाल की उम्र वक्त घटना 17 वर्ष होना बताते हुए उसके नाबालिग होने के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही किया जाना बताया है, परन्तु अभियोजन द्वारा न तो ऐसा कोई गवाह परीक्षित करवाया गया जो कि पुष्करलाल की उम्र वक्त घटना 17 वर्ष होना अथवा उसकी जन्म दिनांक के बारे में कथन करता हो और यहां तक कि स्वयं बालक या उसके पिता से भी बयानों के द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रकट करवाया गया कि वक्त घटना बालिक की उम्र या जन्म दिनांक क्या थी। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं बालक पुष्करलाल व उसके पिता सम्पतलाल ने अपने बयानों में वक्त घटना बालक का तासोल सरकारी विद्यालय में कक्षा 6 में अध्ययनरत होना प्रकट किया है, परन्तु अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में अनुसंधान के दौरान बालक की आयु को प्रमाणित करने के संबंध में न तो विद्यालय का कोई स्कॉलर रजिस्टर, प्रवेश फॉर्म, बालक का आधार कार्ड, राशनकार्ड, जन्मपत्री अंकतालिका आदि प्राप्त कर ऐसे दस्तावेज को अपने बयानों के दौरान प्रदर्शित करवाया गया और न ही उक्त विद्यालय के किसी प्रधानाध्यापक आदि को ही प्रकरण में गवाह बनाया गया। ऐसे में जबकि कथित पीड़ित पुष्करलाल का वक्त घटना नाबालिग होने का तथ्य साक्ष्य

के अभाव में प्रमाणित नहीं हुआ है, तो अभियुक्त पर आरोपित अपराध भी कतई निराधार प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति उपरोक्त सभी कारणों से अभियोजन पक्ष, अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान पर कथित नाबालिग पुष्करलाल को श्रम के लिए विधिविरुद्ध तौर पर विवश कर उससे मोटरसाईकिल रिपेयरिंग व साफ–सफाई आदि कार्य करवाने एवं बाल श्रमिक के रूप में उसे नियोजित करते हुए स्वयं के नियोजन के प्रयोजनाथ इस्तेमाल किये जाने, साथ ही वक्त घटना पुष्करलाल के नाबालिग होने, के तथ्य को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित कर पाने में पूरी तरह असफल रहा है। लिहाजा अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 75, 79 किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 व धारा 374 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में सन्देह का लाभ प्रदत्त करते हुए दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

18. निष्कर्षतः अभियुक्त **गोपाल पुत्र तारूलाल भील**, उम्र 24 वर्ष, निवासी मोरचना, थाना राजनगर, जिला राजसमन्द को आरोपित **अपराध अंतर्गत धारा 75, 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 व धारा 374 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त के इस प्रकरण में नियमित उपस्थिति बाबत् पूर्व प्रस्तुत जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

19. निर्णय आज दिनाँक **04.05.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द

d337f7f1-217c-448c-8132-d61ce2c9002a

Digitally signed by d337f7f1-217c-448c-8132-d61ce2c9002a
Date: 2026.05.25 19:45:05 +05'30'